This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 11 मई, 2023 / 21 वैशाख, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 8 मई, 2023

संख्या मुद्रण (बी)1–1 / 2018.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में **कार्यालय**

दफ्तरी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) लिपिकीय वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, **कार्यालय दफ्तरी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) लिपिकीय वर्गीय सेवाएं** भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः मुद्रण (बी) 2–12/98, तारीख 03–07–2000 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 16–09–2000 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, कार्यालय दफतरी, **वर्ग–4 (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवायें** भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप–नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध –"क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कार्यालय दफ्तरी वर्ग–IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––कार्यालय दफ्तरी

2. **(पद) पदों की संख्या.**––01 (एक)

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग– IV (अराजपत्रित) लिपिकीय वर्गीय सेवाएं

4. **वेतनमान.**–– (i) **नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड:**–लेवल–1, पे मैट्रिक्स का रु. 18000–56900 प्रतिमास।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.––रुपये 10800/– हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के तत्स्थानी संवर्ग के पे–मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत।

5. **"चयन" पद अथवा "अचयन" पद.**––अचयन पद

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/ स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद/(पदों) को यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क) *अनिवार्य अर्हताएं* : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से या मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सम्बद्व संस्थान से या डीम्ड विश्वविद्यालय से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) *वान्छनीय अर्हताएं.*––हिमाचल प्रदेश के रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियो) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं.––आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।

9 परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें ।

(ख) संविदा के आधार पर, नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं।

10. भर्ती की पद्धति.––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैन्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता : शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां ग्रेड, जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैन्ट या स्थानान्तरण किया जायेगा.––पैकर प्रवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, ऐसा न होने पर चपरासी/चौकीदार/माली में से प्रोन्नति द्वारा जिनका चपरासी/चौकीदार/माली के रूप में कम से कम छहः वर्ष का नियमित सेवाकाल, यदि कोई हो, को

सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित संयुक्त सेवाकाल हो जिसमें पैकर के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा होनी चाहिए, ऐसा न होने पर पद को, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा भरा जाएगाः

परंतु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सम्भरक प्रवर्गों के पात्र पदधारियों की संयुक्त वरीयता, उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्ग–वार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना उनके आधार पर अपने–अपने संवर्ग में की गई सेवा पर आधारित तैयार की जाएगी।

(i) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जांएगे।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्म्ड फोर्सिज परसोनल (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा की विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण आधार पर किया जाएगा ।

15 (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी:–

(I) संकल्पना.——(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में **कार्यालय दफ्तरी** को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि विस्तारित/नवीकृत की जाएगी ।

(ख) नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, रिक्त पद /(पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदो ंके ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तें रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.——संविदा के आधार पर नियुक्त कार्यालय दफ्तरी को **रु. 10800/–** की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम जो नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारी के तत्स्थानी संवर्ग को पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत के बराबर संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियां अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी.——नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.——संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति हेतु चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.——जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् नियन्त्रक हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.——अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन एवं शर्तें.——(क) संविदा के आधार पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी (व्यक्ति) को **रु. 10800/–** की दर से समेकित नियत संविदात्मक रक़म जो नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारी के तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत के बराबर संदत्त की जाएगी। यदि संविदात्मक अवधि एक वर्ष से अधिक विस्तारित की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्षों हेतु संविदात्मक उपलब्धियां अनुज्ञात की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यावसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिनों का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश, जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।

अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा ।

तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रक़म का हक़दार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्याकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थी की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्व नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है । ऐसी महिला अभ्यार्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छहः सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति करना.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

——————

उपाबन्ध –''ख''

कार्यालय दफ्तरी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली संविदा / क़रार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती.. पुत्र / पुत्री श्री.. निवासी..संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **प्रथम पक्षकार** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् **द्वितीय पक्षकार** कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख..को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने **कार्यालय दफ्तरी** के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार **कार्यालय दफ्तरी** के रूप में .... से प्रारम्भ होने और..............को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा क़रार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् ....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम **रु. 10800 / –** प्रतिमास होगी नियमित आधार पर नियुक्त / तत्स्थानी कार्यरत का संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत होगी। विस्तारित वर्षों के लिए कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यावसान (समापन)

आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त कार्यालय दफ्तरी एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश तथा 05 दिन के विशेष अवकाश हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक 180 दिनों का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश, जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश को एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रक़म का हक़दार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थी की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्व नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी के मामले लागू सेवा नियमों के उपबन्धों जैसे एफ0आर0, एस0आर0, अवकाश नियम, जी0पी0एफ0 नियम, पैन्शन नियम आदि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होंगे।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1..

....

(नाम व पूरा पता)

2..

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1..

....

(नाम व पूरा पता)

2..

....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)।

———————

परिशिष्ट–I

श्रेणी–IV के पदों लिए

1.	भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के सन्दर्भ में, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की गुणागुण के अनुसार निम्नलिखित रूप में गणना की जाएगी। [लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, दसवीं में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिये जायेंगे]।	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्न रीति से किया जाना है:– (i) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित = 01 अंक (ii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा = 02 अंक (iii) इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध–सरकारी सेवा में नहीं है = 2.5 अंक (iv) 40% विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन = 01 अंक (v) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष)/एन.सी.सी. में प्रमाण–पत्र धारक/भारत स्काऊट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता = 01 अंक (vi) सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित रु. 40,000/– से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब = 2.5 अंक (vii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला = 1.5 अंक (viii) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक (ix) सरकारी/अर्ध–सरकारी संगठन में आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम 5 वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक = 2.5 अंक	15 अंक

[*Authoritative English text to this Department Notification No. Mudran (B)1-1/2018 dated 08-05-2023 as required as under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th May, 2023

No. Mudran (B)1-1/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of **Office Daftri, Class-lV (Non-Gazetted) Ministerial Services,** in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Office Daftri, Class-IV (Non-Gazetted), Ministerial Services** Recruitment and Promotion Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department**, Office Daftri, Class-lV(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules,** 2000 notified *vide* this department notification No. Mudran (B)2-12/98, dated 03-07-2000 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh, on 16-09-2000 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,

Sd/-
*Secretary (P&S)***.**

ANNEXURE-A

Recruitment and Promotion Rules for the post of Office Daftri Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh

1. Name of the post.—Office Daftri

2. Number of posts.—01(One)

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services

4. Scale of Pay.— (i) Pay Band for regular incumbent(s): Level-1, Pay Matrix Rs. 18000-56900 P.M.

(ii) Emoluments for Contract employee(s): Rs.10800/- (60 % of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, of employees appointed/working on regular basis as per Himachal Pradesh Civil Service (Revised Pay) Rules, 2022.

5. Whether "Selection" post or "Non-selection" post.—Non-selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relax-able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector/ Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—*(a) Essential qualifications :* Should have passed Matriculation Examination from a Board recognized University or an institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University.

(b) Desirable qualifications : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s).—*Age :* Not applicable.

Educational Qualification : Not applicable.

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion, failing which, by the direct recruitment on a regular basis or on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from the Packer category who possess 03 years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Peon/Chowkidar/ Mali who possess at least 6 years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, if any, as a Packer and Peon/Chowkidar/ Mali, combined out of which 2 years essential service must be as a Packer, failing which the post will be filled up by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

Provided, that for the purpose of promotion a combined seniority of eligible incumbents of the feeder categories shall be prepared based on service rendered in the respective cadre on the basis of length of service without disturbing their cadre wise *inter-se-seniority.*

(1) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules**:**

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis, followed by regular service /appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to the above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration **:**

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less **:**

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion**.**

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen **who have joined Armed Forces during the period of emergency** and recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.— Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee; as may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.S.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.

15-A (Selection for appointment to the post by contract recruitment).— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the **Office Daftri** in the Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) The Controller, Printing and Stationery after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading news papers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Office Daftri** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount equal of Rs. 10800/- equal to 60% (Sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix of the corresponding cadre of employees, appointed/ working on a regular basis. The contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contractual period is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery, H.P., will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* Controller, Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual Government employee who is appointed on contract basis will be given an amount of Rs. 10,800/- *i.e.* 60% (Sixty Percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix of the corresponding cadre of employees, appointed/ working on a regular basis. The Contractual emoluments for the subsequent years, will be allowed if contractual period is extended beyond one year.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination ordes issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day’s casual leave after putting one month’s service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed 03 years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the payscale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Office Daftri and the Government of Himachal Pradesh through the Controller, Printing and Stationery Department Himachal Pradesh

This agreement is made on this………………………day of………........................in the year…………between Sh/Smt……………..………………………………………….s/o/d/o Shri……………………r/o………………………………………………………………… ……………, contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and The Governor of Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the 'SECOND PARTY').

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Office Daftri** on contract basis on the following terms and conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Office Daftri** for a period of 1 year commencing on day of……..…………… and ending on the day of…………………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on………..……… and information notice shall not be necessary:

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.**10800**/- P.M (which shall be equal to 60% percent of first cell, of the applicable level of the Pay Matrix of the

corresponding cadre of employees appointed/working on a regular basis. For further extended years no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

3. The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination ordes issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The Contractual **Office Daftri** will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of serive, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of pay scale.

9. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.________________________________

____

____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.______________________________

____

____

(Name and Full Address).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.________________________________

____

____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.________________________________

____

____

(Name and Full Address)

APPENDIX-I

For Class-IV Post

1.	Merit of minimum educational qualification, in terms of the Recruitment & Promotion Rules, shall be calculated as under:— [Percentage of marks obtained in prescribed educational qulaification to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in matric will be given 42.5 marks].	85 Marks
2.	Evaluation of candidate to be made in the following manner:—	15 marks
	(i) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be =01Mark	
	(ii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority =02 Mark	
	(iii) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/ Semi-Government service =2.5 Mark	
	(iv) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/infirmity =01 Mark	
	(v) NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions =01 Mark	
	(vi) BPL family having annual income (from all sources) below Rs.40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time =2.5 Marks	
	(vii) Widow/divorced/destitute/single woman =1.5 Mark	
	(viii) Single daughter/Orphan =01Mark	
	(ix) Experience up to a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks	

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th April, 2023

No. HHC/GAZ/14-407/2020.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 12 days' earned leave on and *w.e.f.* 01-05-2023 to 12-05-2023 with the permission to prefix 30-04-2023 (being Sunday) in favour of Ms. Sheetal Gupta, Civil Judge-*cum*-JMFC, Jubbal, Distt. Shimla, H.P.

Certified that Ms. Sheetal Gupta is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after *expiry* of the above period of leave.

Also certified that Ms. Sheetal Gupta would have continued to hold the post of the Civil Judge-*cum*- JMFC, Jubbal, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th April, 2023

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Rohru, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMFC, Jubbal H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishment attached to the aforesaid Courts under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Ms. Sheetal Gupta, Civil judge-*cum*-JMFC, Jubbal, *w.e.f.* 01-05-2023 to 12-05-2023 with the permission to prefix 30-04-2023 being Sunday or till she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th April, 2023

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.— Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Rohru, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMFC, Jubbal H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishment attached to the aforesaid Courts under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Ms. Sheetal Gupta, Civil judge-*cum*-JMFC, Jubbal, *w.e.f.* 01-05-2023 to 12-05-2023 with the permission to prefix 30-04-2023 being Sunday or till she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th April, 2023

No. HHC/Admn.6(56)2006-IV-Part.—Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it Under Section 7 of H. P. Courts Act, 1976 and under Sections 9(3) and 9(6) of the Code of Criminal Procedure is pleased to confer the powers of District and Sessions Court upon the Additional District and Sessions Judge, Rohru to receive and register all triable civil and criminal cases at Rohru, Distt. Shimla H.P., pertaining to its Jurisdiction.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th April, 2023

No. HHC/Admn.3(263)/88-I.—12 days earned leave on and *w.e.f.* 01-05-2023 to 12-05-2023 with permission to prefix Sunday falling on 30-04-2023 and suffix second Saturday and Sunday falling on 13th & 14th May, 2023 is hereby sanctioned in favour of Smt. Neelam Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Neelam Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she had proceeds on leave after the *expiry* of the above leave period.

Certified that Smt. Neelam Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th April, 2023

No. HHC/GAZ/14-292/2006-II.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days' commuted leave for 11-07-2022 and 12-07-2022 in favour of Sh. Dhiru Thakur, the Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Kinnaur at Reckong Peo.

Certified that Sh. Dhiru Thakur has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Dhiru Thakur would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, H. P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th April, 2023

No. HHC/GAZ/14-348/2014.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 08 days' commuted leave *w.e.f.* 18-07-2022 to 25-07-2022 in favour of Shri Vivek Kaisth, the then Civil Judge-*cum*-JMFC, Jawali, presently posted as Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Dehra.

Certified that Shri Vivek Kaisth had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vivek Kaisth would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Jawali but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th April, 2023

No. HHC/GAZ/14-330/2012.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex-post* facto sanction of 04 days' commuted leave *w.e.f.* 20-08-2022 to 23-08-2022 in favour of Shri Prashant Singh Negi, the Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Kasauli.

Certified that Shri Prashant Singh Negi had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Prashant Singh Negi would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Kasauli, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th April, 2023

No. HHC/GAZ/14-266/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex-post* facto sanction of 13 days' commuted leave *w.e.f.* 23-05-2022 to 04-06-222 in favour of Smt. Sapna Pandey, the then Additional District and Sessions Judge (2), Solan, presently posted as Additional District and Sessions Judge (I), Solan.

Certified that Smt. Sapna Pandey has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt Sapna Pandey would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (2), Solan but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th April, 2023

No. HHC/GAZ/14-307/09-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex-post* facto sanction of 03 days' commuted leave *w.e.f.* 27-09-2022 to 29-09-2022 and further 02 days' commuted leave for 09-03-2023 and 10-03-2023 in favour of Smt. Kanika Chawla, the then Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Nurpur, presently posted as Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Sirmaur at Nahan.

Certified that Smt. Kanika Chawla has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Kanika Chawla would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Nurpur, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

In the Court of Sh. Vikas Shukla H.A.S., Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

1. Govinda Dhakal s/o Sh. Bhupendra Dhakal, r/o Village & P.O. Panchamul, Tehsil & Distt. Syangja Nepal.

2. Nancy Sharma d/o Sindhu Sagar, r/o House No. 81, Ward No. 6, Village Kalehli, P. O. Bajaura, Tehsil Bhunter Distt. Kullu (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Govinda Dhakal and Nancy Sharma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-04-2022 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid.*

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-05-2023. The objection received after 18-05-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-04-2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
(VIKAS SHUKLA, HAS),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sh. Vikas Shukla H.A.S., Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

1. Puran Bahadur s/o Jagat Bahadur, r/o Village Sharabai P.O. & Tehsil Bhunter Distt. Kullu (H.P.).

2. Gulab Devi d/o Sh. Ramku, r/o Village Chango, Distt. Kinnaur at present w/o Puran Bahadur s/o Jagat Bahadur, r/o Village Sharabai P.O. & Tehsil Bhunter Distt. Kullu (H.P.)

. . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Puran Bahadur and Gulab Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-01-1984 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid.*

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-05-2023. The objection received after 18-05-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-04-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(VIKAS SHUKLA, HAS),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sh. Vikas Shukla H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

1. Roshan Lal s/o Madan Lal, r/o Village Jana, P.O. Archhandi, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

2. Radha Kumari d/o Ram Bahadur, r/o Village Jana, P.O. Archhandi, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.)

. . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Roshan Lal and Radha Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-02-2023 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid.*

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-05-2023. The objection received after 18-05-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-04-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(VIKAS SHUKLA, HAS),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 12/ NT/CORE/2020 केस दायर : 07—10—2020

श्री ईश्वर दास पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव तेलंग, डा0 भुट्टी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——दरख्वास्त बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री ईश्वर दास पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव तेलंग, डा0 भुट्टी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने दिनांक 07—10—2020 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र दायर किया है जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु कानूनगो भू—व्यवस्था को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो भू—व्यवस्था व पटवारी हल्का भू—व्यवस्था गाहर से दिनांक 22—10—2020 को प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में ईशर दर्ज है, का दुरुस्त नाम ईश्वर दास पुत्र श्री चेत राम है, को सही करने बारे प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री ईश्वर दास पुत्र श्री चेत राम का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर / एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर / एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्री ईश्वर दास पुत्र श्री चेत राम सही नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 24—04—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 20/ NT/CORE/2019 केस दायर : 05—07—2019

श्रीमती कमला पुत्री भीमी राम, निवासी गांव बगानी, डा0 फोजल, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——दरख्वास्त बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त विषय पर श्रीमती कमला पुत्री भीमी राम, निवासी गांव बगानी, डा0 फोजल, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने दिनांक 05—07—2019 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र दायर किया है जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षेत्रीय कानूनगो रायसन को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो रायसन व पटवारी हल्का पिछलीहार से दिनांक 09—09—2019 को प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में श्रीमती कमली देवी दर्ज है, का दुरुस्त नाम कमला पुत्री भीमी राम है, को सही दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री ईश्वर दास पुत्र श्रीमती कमला पुत्री भीमी राम का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर / एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर / एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्रीमती कमला पुत्री भीमी राम सही नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 24—04—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

——————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 19 / 2023 आगामी पेशी : 12—05—2023

डावे राम पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव शरन, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.——आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

डावे राम पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव शरन, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड महाल रैला कोठी भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इसका नाम दीवान दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर भाग–1 व अन्य दस्तावेजों में इसका नाम डावे राम दर्ज है जिसकी दुरुस्ती बारे एक शपथ–पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका नाम राजस्व रिकार्ड महाल रैला कोठी भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में दीवान के स्थान पर दीवान उर्फ डावे राम दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे में कोई एतराज हो तो दिनांक 23–05–2023 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड महाल रैला कोठी भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 24–04–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 20 / 2023 आगामी पेशी : 12–05–2023

हिरा लाल पुत्र प्रेम चन्द, निवासी गांव झलौट, डा0 शलवाड़, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू–राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

हिरा लाल पुत्र प्रेम चन्द, निवासी गांव झलौट, डा0 शलवाड़, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड महाल धाऊगी कोठी बूंगा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इसका नाम हिरे सिंह दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर भाग–1 व अन्य दस्तावेजों में इसका नाम हिरा लाल दर्ज है जिसकी दुरुस्ती बारे एक शपथ–पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका नाम राजस्व रिकार्ड महाल धाऊगी कोठी बूंगा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में हिरे सिंह के स्थान पर हिरे सिंह उर्फ हिरा लाल दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे में कोई एतराज हो तो दिनांक 23–05–2023 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड महाल धाऊगी कोठी बूंगा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 24–04–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 15 / 2023 आगामी पेशी : 12—05—2023

रंजित सिंह पुत्र शेर सिंह, निवासी गांव व डा0 सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.——आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

रंजित सिंह पुत्र शेर सिंह, निवासी गांव व डा0 सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड महाल रैला कोठी भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इसका नाम रणजीत सिंह दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर भाग—1 व अन्य दस्तावेजों में इसका नाम रंजित सिंह दर्ज है जिसकी दुरुस्ती बारे एक शपथ—पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका नाम राजस्व रिकार्ड महाल रैला कोठी भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में रणजीत सिंह के स्थान पर रणजीत सिंह उर्फ रंजित सिंह दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे में कोई एतराज हो तो दिनांक 23—05—2023 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड महाल रैला कोठी भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 24—04—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

——————

In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan, District Solan (H. P.)

In the matter of :

Sh. Gian Chand s/o Shri Jamna Dass s/o Sh. Bhanu, r/o Ser Kaleen, Ward No. 13, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Gian Chand s/o Shri Jamna Dass s/o Sh. Bhanu, r/o Ser Kaleen, Ward No. 13, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned

under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering of date of death of his father namely Shri Jamna Dass s/o Sh. Bhanu who had expired on 26-02-1994 at r/o Ser Kaleen, Ward No. 13, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of death could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan, Tehsil & Distt. Solan.

Now therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of death of Shri Jamna Dass s/o Sh. Bhanu, r/o Ser Kaleen, Ward No. 13, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 22-05-2023 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of April, 2023.

Seal.

MULTAN SINGH BANYAL,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan, District Solan (H. P.)

In the matter of :

Sh. Kamal Dev Sharma s/o Lt. Shri Paras Ram Sharma, r/o Village & P.O. Salouni, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Kamal Dev Sharma s/o Lt. Shri Paras Ram Sharma, r/o Village & P.O. Salouni, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering of date of death of his father namely Sh. Paras Ram who had expired on 10-03-1989 at Regional Hospital Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of death could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan, Tehsil & Distt. Solan.

Now therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of death of Shri Paras Ram s/o Sh. Gauri Ditta, may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 22-05-2023 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of April, 2023.

Seal.

MULTAN SINGH BANYAL,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 03 / 2023 तारीख दायर : 14–02–2023

श्रीमती हीमा शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार शर्मा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत राजस्व अभिलेख नाम दुरुस्त करवाने बारे।

यह आवेदन श्रीमती हीमा शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र राम मोहन, उप–महाल परवाणू, सैक्टर–3 ने दिनांक 14–02–2023 को प्रार्थना–पत्र दिया है कि उनका राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त तीडों राजस्व सम्पदा उप–महाल परवाणू सैक्टर–3 में सीमा पुत्री राम मोहन दर्ज है। जबकि उनका असली नाम श्रीमती हीमा शर्मा पुत्री राम मोहन है। प्रार्थिया ने अपना नाम श्रीमती हीमा शर्मा होने बारे अपना ब्यान हल्फिया, आधार कार्ड की माननीय निवासीगण के द्वारा जारी की गई तस्दीक जिसमें उनके नाम के हीमा शर्मा के होने की पुष्टि की है।

अतः इस बाबत आम जनता / हितबद्ध व्यक्तियों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती सीमा शर्मा सुपुत्री श्री राम मोहन, उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन के नाम को श्रीमती हीमा शर्मा पुत्री राम मोहन करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह इस नोटिस के छपने के एक माह के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त तीडों के राजस्व सम्पदा टकसाल में विजयश्री शर्मा करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27–04–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 02 / 2023 तारीख दायर : 08–02–2023

श्रीमती विजयश्री सुपुत्री श्री रवी दत्त शर्मा, ग्राम टकसाल, उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत राजस्व अभिलेख नाम दुरुस्त करवाने बारे।

वादिया श्रीमती विजयश्री शर्मा सुपुत्री श्री रवी दत्त शर्मा, ग्राम टकसाल, उप–तहसील परमाणू, जिला सोलन ने दिनांक 08–02–2023 को प्रार्थना–पत्र दिया है कि उनका राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त तीडों राजस्व सम्पदा टकसाल में बृजेश्वरी देवी सुपुत्री श्री रवी दत्त शर्मा दर्ज है। जबकि उनका असली नाम श्रीमती विजयश्री सुपुत्री श्री रवी दत्त शर्मा है। प्रार्थिया ने अपना नाम श्रीमती विजयश्री होने बारे अपना ब्यान हल्फिया, आधार कार्ड प्रति, ग्राम पंचायत टकसाल के माननीय निवासीगण के द्वारा जारी की गई तस्दीक पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें उनके नाम विजयश्री शर्मा होने की पुष्टि की है।

अतः इस बाबत आम जनता / हितबद्ध व्यक्तियों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती विजयश्री सुपुत्री श्री रवी दत्त शर्मा, ग्राम टकसाल, उप–तहसील परमाणू, जिला सोलन के नाम को श्रीमती विजयश्री शर्मा करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह इस नोटिस के छपने के एक माह के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त तीडों के राजस्व सम्पदा टकसाल में विजय श्री शर्मा करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26–04–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 13 / 2023 तारीख दायर : 14–02–2023

भगवान दत्त पुत्र हीम राम, निवासी तडोल

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत राजस्व अभिलेख नाम दुरुस्त करवाने बारे।

यह आवेदन बगवान दत्त पुत्र हीम राम, निवासी तडोल ने दिनांक 04–07–2022 को प्रार्थना–पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त तडोल में उनके पिता का नाम भगवान दत्त पुत्र हीम राम दर्ज है। जबकि उनका असली नाम हेम राम है। प्रार्थी ने अपने पिता का नाम हेम राम होने बारे पटवारी / कानूनगो की रिपोर्ट , श्री नरेन्द्र दत्त पुत्र दुर्गा दत्त प्रधान व श्री प्यारे लाल उप–प्रधान आंजी मातला व सुख राम पुत्र जैसी राम व

लक्ष्मी दत्त पुत्र सुभाष, मौजा तडोल के ब्यानात से उनके पिता के नाम हेम राम नाम के हीमा शर्मा के होने की पुष्टि की है।

अतः इस बाबत आम जनता / हितबद्ध व्यक्तियों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्रीमती सीमा शर्मा सुपुत्री श्री राम मोहन, उप–तहसील परमाणू, जिला सोलन के नाम को श्रीमती हीमा शर्मा पुत्री राम मोहन करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह इस नोटिस के छपने के एक माह के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त तीडों के राजस्व सम्पदा टकसाल में विजयश्री शर्मा करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27–04–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Kavita Thakur, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Nitin Sharma s/o Sh. Krishan Lal Sharma, r/o H. No. 115, Ward No. 11, Khundidhar, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Anita d/o Sh. Rattan Singh, r/o Village Reri Gusan (133), P.O. Thomiwar, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 05-09-2022, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Nitin Sharma s/o Sh. Krishan Lal Sharma, r/o H. No. 115, Ward No. 11, Khundidhar, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Anita d/o Sh. Rattan Singh, r/o Village Reri gusan (133), P.O. Thomiwar, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notices. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 24th day of April, 2023.

Seal.

KAVITA THAKUR, HPAS,
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Kavita Thakur, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Nipin Kalra s/o Sh. Surender Kalra, r/o A 202, Aero Homes, Near Hotel Maryland, Gazipur Road, Zirakpur,SAS Nagar, Mohali and Mrs. Yashika Bhaskar d/o Lt. Sh. Naveen Bhaskar, r/o Flat No. 4, Mehta Campus, Village Balana, P.O. Samti, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 08-12-2022, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Mr. Nipin Kalra s/o Sh. Surender Kalra, r/o A 202, Aero Homes, Near Hotel Maryland, Gazipur Road, Zirakpur, SAS Nagar, Mohali and Mrs. Yashika Bhaskar d/o Lt. Sh. Naveen Bhaskar, r/o Flat No. 4, Mehta Campus, Village Balana, P.O. Samti, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notices. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 29 th day of April, 2023.

Seal.

KAVITA THAKUR, HPAS,
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan, District Solan (H. P.)

In the matter of :

Sh. Aman Thakur s/o Shri Jagdev Singh, r/o Nitin Niwas, Sunny Side Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Aman Thakur s/o Shri Jagdev Singh, r/o Nitin Niwas, Sunny Side Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering of date of birth of his son Aarav Thakur, whose date of birth is 12-06-2015 and born at Nitin Niwas, Sunny Side Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan, Tehsil & Distt. Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sh. Aarav Thakur s/o Sh. Aman Thakur & Smt. Madhu Thakur, r/o Nitin Niwas, Sunny Side Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 03-06-2023 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 4th day of May, 2023.

Seal.

MULTAN SINGH BANYAL,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री रजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, वासी गांव दिलवां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)
2. श्रीमती अंजू बाला पुत्री राम दास, लहोरी वासी, H. No. 516/1, Sec. 45-A, Chandigarh.

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री रजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, वासी गांव दिलवां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती अंजू बाला पुत्री राम दास, लहोरी वासी, H. No. 516/1, Sec. 45-A, Chandigarh के साथ दिनांक 07–12–2014 को मुताबिक हिन्दू रीति–रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति–पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत मैडी के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 21–05–2023 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20–04–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री अश्वनी पुत्र श्री महिंद्र चन्द, वासी गांव पंजोआ लडौली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

2. श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री अर्जुन, वासी गांव नरहा, डा0 टमोट, परस पुलिस स्टेशन मुरलीगंज, जिला मधेपुरा (बिहार)

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री अश्वनी पुत्र श्री महिंद्र चन्द, वासी गांव पंजोआ लडौली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री अर्जुन, वासी गांव नरहा, डा0 टमोट, परस पुलिस स्टेशन मुरलीगंज, जिला मधेपुरा (बिहार) के साथ दिनांक 16—09—2019 को मुताबिक हिन्दू रीति—रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति—पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत मैडी के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 21—05—2023 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20—04—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ईसपुर, जिला ऊना (हि0प्र0)

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा—23 भू—राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल चक्क खड्ड व भैणी खड्ड जमाबन्दी 2016—17 में प्रार्थी श्री महेश कुमार के पिता का नाम झौंफी पुत्र वल्ला की बजाये श्री रतन चन्द पुत्र वल्ला दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में श्री महेश कुमार पुत्र रतन चन्द, वासी खड्ड द्वारा, उप—तहसील ईसपुर, जिला ऊना ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम महाल चक्क खड्ड व भैणी खड्ड में श्री झौंफी पुत्र वल्ला गलत चल रहा है। जबकि उसका सही नाम श्री रतन चन्द पुत्र वल्ला है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 24—05—2023 तक प्रातः 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक हाजिर आवें। हाजिर न आने की

सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा / खैम कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 24—04—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ईसपुर, जिला ऊना (हि० प्र०)।

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Rakshvir age 58 years s/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Karsai, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Meenakshi age 54 years d/o Kanwar Hari Singh, r/o Village Rotary Street Una, Tehsil & District Una (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Rakshvir s/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Karsai, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Meenakshi d/o Kanwar Hari Singh, r/o Village Rotary Street Una, Tehsil & District Una (H.P.) at present w/o Sh. Rakshvir s/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Karsai, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-02-1992 according to Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 31-05-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th April, 2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि०प्र०)

कशमीरा सिंह पुत्र भगत राम पुत्र राम सिंह, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि०प्र०)
.. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख ललड़ी, चन्दपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट नं0 206, 207, 208, 209, 213, 218, 219, 220, 233, 234, 338 मिन खतौनी, 406, 407, 408, 409, 413, 418, 420 जमाबनदी साल 2018–19 व महाल चन्दपुर, खेवट नं0 137, 138, 142, 145, खतौनी 176, 182, 185, 466 जमाबन्दी साल 2018–19 महाल ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री कशमीरा सिंह पुत्र भगत राम पुत्र राम सिंह, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कशमीरा सिंह पुत्र भगत राम गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम कशमीर सिंह पुत्र भगत राम की बजाये कशमीरा सिंह पुत्र भगत राम, वासी ललड़ी सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखवार / नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28–05–2023 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर / एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यक तरफ कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 93 / NTBC / 2023 किस्म दावा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 18–05–2023

विधि सिंह

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम विधि सिंह पुत्र भण्डारी, वासी महाल रायेपुर, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल रायेपुर, जमाबन्दी वर्ष 2020–2021 के अनुसार विधि चन्द पुत्र भण्डारी दर्ज है। प्रार्थी विधि चन्द की बजाए विधि चन्द उपनाम विधि सिंह पुत्र भण्डारी, वासी महाल रायेपुर, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल रायेपुर, उप–तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति / एतराज हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 18–05–2023 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19–04–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप–तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Rakhi Chugh w/o Kailash Chugh, r/o House No. 56/2, Near CMO Office Haripur Mohalla, Nahan (T), Sirmaur (H.P.)-173001 have changed my name to Ramesh Kumari. I Shall be known by this name in future.

RAKHI CHUGH
w/o Kailash Chugh,
r/o House No. 56/2,
Near CMO Office Haripur Mohalla,
Nahan (T), Sirmaur (H.P.)-173001.

CHANGE OF NAME

I, Mayank Chaudhary s/o Sh. Vinod Kumar, V.P.O. Kathli Bharan, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that in my 10th class CBSE Marksheet bearing Registration No. H 121/43022/0154 in which my name spelling is wrongly written as Mayank Choudhary instead of my actual name MAYANK CHAUDHARY, (D.O.B. 01-04-2005) & similarly correct name of my father isVINOD KUMAR instead of Vinod Chaudhary & my mother's correct name is SEEMA DEVI instead of Varsha. Please note for all purposes in future.

MAYANK CHAUDHARY
s/o Sh. Vinod Kumar,
V.P.O. Kathli Bharan,
Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।